(2011) 2 एस. सी. आर. 535

नरिंदर कौर

विरुद्ध

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य

(2011 की सिविल अपील सं. 1380)

फरवरी 04, 2011

(जे. एम. पांचाल और एच. एल. गोखले, न्यायाधिपतिगण)

सेवा कानून-

जन्म तिथि- सेवा अभिलेख में परिवर्तन - अपीलार्थी द्वारा आवेदन - दीवानी न्यायाधीश ने राज्य सेवा में प्रवेश के दो साल के भीतर अपनी जन्म तिथि 26.01.1971 से 09.01.1972 करने का आवेदन दिया। आवेदन रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खारिज किया गया - रिट याचिका भी खारिज की गयी - अपील में निर्णीत किया गया। अभिलेख पर यह बताने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी कि अपीलार्थी ने दर्ज जन्म तिथि का अवैध फायदा उठाया। जन्म दिनांक में परिवर्तन का आवेदन प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय ने कोई जांच नहीं की।

उच्च न्यायालय के लिए यह परिकल्पना करना हास्यास्पद था कि चुनाव समिति ने जब अपीलार्थी का दीवानी न्यायाधीष के पद पर चयन किया तो वह न्यायाधीष के द्वारा बतायी गयी जन्म तिथि से जो आवेदन में बतायी गयी थी प्रभावित हुई। निदेषक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण भी है, ने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में 09.01.1972 बताया गया। जन्म व मृत्यु के अभिलेख को अनुमानित सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसमें उसकी जन्म तिथि 26.01.1971 से 09.01.1972 की मांग की गयी है, स्वीकार की जाती है - पंजाब वित्तीय वाॅल्यूम-।, नियम 2001 (हरियाणा प्रथम सुधार) 2001।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील सं. 1380/2011

(उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ में स्थित है, के निर्णय व आदेष दिनांक 20.04.2006 के विरुद्ध जो दीवानी रिट याचिका 16151/2003 में पारित किया गया।)

पी. एन. मिश्रा, हरिकेष सिंह, टी. सिंह, सोहोवन, कंवल मोहन गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से

मंजीत सिंह, अजयपाल, आभा जैन एवं नरेष बक्शी, प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निम्न आदेश प्रसारित किया गया -

आदेश

अनुमति प्रदान की गयी।

यह अपील चंडीगढ़ में स्थित पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश जो दीवानी रिट याचिका 16151/2003 में 20.04.200 6 को निर्णीत किया गया, के विरुद्ध है। जिसमें अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की कि वह 12.02.2002 के पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को, जो प्रशासनिक तौर पर पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी की प्रार्थना अस्वीकृत की गयी कि उसकी जन्म तिथि 26.01.1971 से 09.01.1972 कर दी जाये।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि अपीलार्थी को हरियाणा सिविल सेवाओं (न्यायिक) के लिए चयन कर दीवानी न्यायाधीष (कनिष्ठ) अम्बाला शहर, के पद पर नियुक्त किया गया। उसने अपनी सेवाऐं 20.05.2000 से प्रारम्भ की। अपीलार्थी का मामला यह है कि उसकी जन्म तिथि 09.01.1972 है लेकिन अभिलेख में इसे 26.01.1971 गलत रूप से दर्शाया गया है। यह एक तथ्यात्मक रूप से गलत जन्म प्रमाण पत्र

के आधार पर किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल ने उन्हें प्राप्त शक्तियों जो संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के तहत प्राप्त की गयी है। पंजाब विŸाीय वाॅल्यूम-I (हरियाणा प्रथम परिवर्तित) नियम 2001 के तहत नियमों में परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन के तहत यदि अपनी उम्र की घोषणा राजकीय सेवा प्रारम्भ होने के समय की जाती है तो उसे निर्णयात्मक माना जायेगा। यदि वे व्यक्ति उम्र में परिवर्तन का आवेदन सेवा में नियुक्ति के दिन के दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत करते हैं। जब ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जावे तो एक विषेष जाट सारे उपलब्ध अभिलेख को देखते हुए की जावेगी जैसे कि नगर पालिका के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर, यूनिवर्सिटी व स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें उम्र दर्शायी गयी हो, जन्म पत्रिका, जन्म कंुडली इत्यादि।

अपीलार्थी ने यह पता चलने पर कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में 26.01.1971 की तारीख गलत रूप से दर्षायी गयी है। 12.04.2002 को अपनी सेवा के प्रारम्भ होने के दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि परिवर्तन का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय 12.05.2002 को एक न बोलने वाले आदेश द्वारा उसे यह सूचित किया कि उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

इस आदेश से पीड़ित होकर अपीलार्थी ने दीवानी रिट याचिका 16151/2003 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे प्रश्नगत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जिससे यह अपील उत्पन्न हुई है।

न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के अभिभाषकगण को सुना, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका खारिज करने का मुख्य कारण यह बताया गया है कि अपीलार्थी ने यह संतुष्ट नहीं किया है कि उसने अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि का कोई गलत फायदा नहीं उठाया है। उच्च न्यायालय का यह भी कहना है कि अपीलार्थी एक परिपक्व श्रेणी की महिला है तथा उसके आवेदन में जो उसने चयन के लिए प्रस्तुत किया था, उससे चयन समिति प्रभावित हुई है। इस मामले में विबंधन का सिद्धांत लागू होता है। उच्च न्यायालय का यह कहना है कि 13.08.2001 की अधिसूचना स्वविवेक पर निर्भर है तथा अपीलार्थी अपनी जन्म तिथि में इस अधिसूचना के आधार पर परिवर्तन का अधिकार नहीं रखती।

यह बताया आवश्यक होगा कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब में शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन यह नहीं बताया गया कि अपीलार्थी ने अपनी अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर कोई अवैध फायदा उठाया हो। अपीलार्थी का सिविल जज के पद पर चयन होने की कार्यवाही इस मामले में प्रस्तुत नहीं की है। अतः

यह मानना उच्च न्यायालय के लिए अकल्पनीय था कि उच्च न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को सिविल जज के रूप में चयन करना उसके द्वारा आवेदन में दर्ज अभिलेख जन्म तिथि के आधार पर किया गया। अभिलेख से यह भी पता नहीं चलता कि अपीलार्थी का जन्म तिथि में परिवर्तन का आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उच्च न्यायालय में कोई विषेष जांच जो 2001 के नियमों में निर्दिष्ट की गई हो। यह सही है कि 2001 के परिवर्तित नियम स्वविवेक पर निर्भर हैं। लेकिन यह तथ्य अपने आप में उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक स्तर पर उन्हें अनदेखा करने को औचित्यपूर्ण नहीं बनाता। इसके साथ ही इस निर्णय पर पहुंचना कि इन स्वविवेक के नियमों के तहत अपीलार्थी जन्म तिथि में परिवर्तन की हकदार नहीं है।

वर्तमान अपील में डाॅ. जे. पी. सिंह, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, पंजाब ने 26.08.2010 को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस शपथ पत्र के अनुसार रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु पंजीकरण नगर पालिका तहसील राजपुरा जिला पटियाला, पंजाब के रजिस्टर में अपीलार्थी की जन्म तिथि टर्म सं. 10 पर 11.01.1972 को 09.01.1972 के रूप में दर्ज की गयी है। अतः पंजाब राज्य ने इस षपथ पत्र यह स्वीकार कर लिया है कि अपीलार्थी की सही जन्म तिथि जन्म एवं मृत्यु अभिलेख के आधार पर 09.01.1972 है। जो शपथ पत्र डाॅ. जे. पी. सिंह, निदेषक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

एवं मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, पंजाब द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर न तो कोई विवाद है न ही उसके विरुद्ध पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है।

यह देखते हुए कि जन्म व मृत्यु पंजीकरण के मामले में जो परिकल्पना की कीमत है। यह न्यायालय इस राय का है कि अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

ऊपर बताये गये कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दीवानी रिट याचिका 16151/2003 में दिया गया निर्णय दिनांक 20.04.2006 अपास्त किया जाता है। दीवानी रिट याचिका 16151/2003 जो उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, उसे स्वीकार किया जाता है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया प्रषासनिक ओदष दिनांक 12.05.2002 अपीलार्थी के आवेदन जो 12.04.2002 पर दिया गया था जिसमें प्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि 26.01.1971 से 09.01.1972 की मांग की थी, को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 12.04.2002 जिसमें उसने अपनी जन्म तिथि 12.01.1971 से 09.01.1972 करने की मांग की थी स्वीकार की जाती है। दोनों प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के सेवा अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 09.01.1972 प्रविष्ट करे। यह अपील इसी प्रकार निर्णीत की जाती है।

अपील निर्णीत की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।